262

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनायें, जयपुर
{जयपुर विकास प्राधिकरण भवन}

क्रमांक:भू0अ0/नविअ/91   दिनांक: 29/6/91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में भूमि अवाप्ति बाबत। {पृथ्वी राज नगर योजना}

...

मुकदमा नम्बर :
78/88

अ वा र्ड

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 {1984} का केन्द्रीय अधिनियम संख्या -1} की धारा 4 {1} के तहत क्रमांक प-6{15}नविआ/11/87 दिनांक 6-1-88 को कराया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6{15}नविआ/3/87 दिनांक 28·7·89 का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

क्रमशः ... 2..

क्र॰म॰ सं॰	मुकदमा नं॰	ख॰नं॰	रकबा बी॰ बि॰	खातेदारान/हितदारान का नाम
1॰	2॰	3॰	4॰	5॰
1॰	78	78	11-00	जै सिंह पुत्र बालकिशन जाट सा॰बीड़ ताकिया गैर खातेदार

क्र॰सं॰ 1 मुकदमा नं॰ 78 खसरा नं॰ 78

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा नं॰ 78 रकबा 11 बीघा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर मे जै सिंह पुत्र बालकिशन जाट सा॰बीड ताकिया गैर खातेदार के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियमी की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को तामील कुनिन्दा व रजि॰एडी॰ द्वारा नोटिस दिनांक 9.4.91 को जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हस्तीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के वयस्क सदस्य को देकर तामील कराया गया । डाकघर के रिपोर्ट के अनुसार खातेदारने नोटिस लेने से इन्कार किया जो शामिल मिसल है । तत्पश्चात दिनांक 7.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन कराया गया ।

श्री मनदीप सिंह अभिभाषक ने श्री अमित गगन की ओर वकालतनामा व क्लेम प्रार्थना पत्र दिनांक 17.6.1991 को पेश किया । क्लेम प्रार्थना पत्र मे मुआवजे की मांग की गई तथा निवेदन किया कि इस क्षेत्र की भूमि जो नियमों के अन्तर्गत यदि आबादी को मान ली गयी है तो उसका औसत मुआवजा कम से कम 200 रुपये गज अर्थात 6,05,000/- प्रति बीघा से कम नही हो सकता और यदि तथ्य पर आंकलन किया जाय तो जयपुर विकास प्राधिकरण की संदर्भित भूमियों का मुआवजा 2000 करोड रुपये से भी अधिक, अलावा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर पेड़, पौधे इत्यादि के मुआवजा राशि के देय होगा । साथ ही इसके विकास पर व्यय करने की अतिरिक्त तौर पर 6000 करोड रुपया और चाहिएगा । एतद् अवाप्ति कार्यवाही काल्पनिक अव्यवहारिक एवं बदनियती पूर्ण है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

264

प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भूमि के साथ वाली भूमि व उक्त भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु सन् 1988 में वैशाली नगर मे कम से कम 350/-रुपये प्रति वर्ग गज की दर से आंवटन करने की दर निश्चित की गयी थी । जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमानुसार उक्त भूमि के आस-पास की भूमि का आवासीय प्रयोग हेतु काम मे लेने पर 40/-रुपये प्रति वर्ग गज विकास शुल्क देना तय किया गया है । इसके साथ ही कुल भूमि का 60 प्रतिशत भाग प्रयोग मे लेने का प्रावधान है। इस प्रकार भूमि की कीमत निम्न प्रकार तय होगी जो कि न्यूनतम दर है ।

प्रति वर्ग गज न्यूनतम दर	: 300/-रुपये प्रति वर्ग गज
विकास शुल्क कम करने पर	: 40/- रुपये प्रति वर्ग गज
	260/- रुपये प्रति वर्ग गज

इस प्रकार प्रति बीघा न्यूनतम दर 60 प्रतिशत भाग काम मे लेने पर भूमि की कीमत 1315 वर्गगजx260/-रुपये प्रति वर्ग गज से 4,71,900/-रुपये अर्थात बनती है ।

इस प्रकार प्रार्थी उक्त दर 4,71,900/- रुपये प्रति बीघा पाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी की भूमि का खसरा नम्बर 78 रकबा 11 बीघा जिसका क्षेत्रफल 33,275 वर्गगज से 40 प्रतिशत कम करने पर 13,310 कम करने पर 19,965 वर्ग गज रहता है । जिसकी बाजारी दर 260/- प्रति वर्ग गज से रुपये 5,19,0900/- पाने का अधिकारी है ।

(अ) भूमि का कुल मुआवजा 5,19,0900/-

1. पेड-पौधे :-
-:-:-:-:-:-

1.	आम का 1 पेड 17 वर्ष पुराना जिसमें प्रति वर्ष 6क्वि. फल मिलता है प्रति 500/- प्रति क्वि. की दर से व्यय 500/- प्रति वर्ष 6x500=3,000-500=2500 10 वर्ष की आय के हिसाब से	25,000.00
2.	खेजडा 6 बीस वर्ष पुराने जिनकी लुम,पातडी,व छांगि से छ:माह प्रत्येक वृक्ष से 150 रुपये आय अर्थात एक वर्ष में 300/-जिस पर व्यय 60 रुपये प्रत्येक वृक्ष पर प्रति वर्ष होता है । 240x10x6	14,400.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास न्यास
जयपुर

—4—

265

3.	नीम एक पेड़ 10 वर्ष पुराना फर्नीचर बनाने के कार्यहेतु	2,000.00
4.	कुआँ:- भूमि खसरा नं0 78 में स्थित कुआ में प्रार्थी का है । कुएँ की गहराई 140 फुट, चौड़ाई 10 फुट, बोरिंग 100 फुट, साढे सात हार्स पावर की मोटर में बिजली पाईप	3,00,000.00
5.	भूमि के चारों ओर मिट्टी का कच्चा डोला 500 फुट दर 10/-	5,600.00
6.	पानी का हौज 8 फीट डाई मीटर का जिसकी कीमत	30,000.00
7.	हौदी -4 प्रति हौदी का मूल्य 2,000/-रुपये	8,000.00
8.	पाईप लाईन्स 560 फुट	8,500.00
9.	गुमटी एवं स्विच रुम जिसका क्षेत्रफल 147 वर्ग फीट जिसकी दर 150/- वर्ग फीट	22,050.00

प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया कि केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894[1984 के अन्तर्गत धारा 23[1] के अनुसार दिनांक 7 जुलाई 1988 से अवार्ड की तिथी तक 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से भूमि की मुआवजा राशि पर अतिरिक्त राशि पाने का अधिकारी है केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 [2] के अन्तर्गत भूमि की कीमत पर 30 प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति पार्षेज पाने का अधिकारी है तथा अवार्ड के पश्चात अर्थात् केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 % एक वर्ष तक तथा एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत ब्याज भुगतान की तिथि तक पाने का अधिकारी है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्ड जयपुर में भूमि के अवाप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार को एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि जिस खातेदार की भूमि को अवाप्ति किया जाय तो निवास भू-खण्ड एवं व्यवसाय करने हेतु दुकान रिर्जव प्राईस आंवटन की जावे । जैसा कि भूतपूर्व भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर नगर विकास न्यास जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लालक कोठी योजना एवं मालवीय नगर योजना तथा मार्केट जयपुर में जिन खातेदारों की भूमि को अवाप्त किया गया है उन्हें एक हजार, पन्द्रह सौ वर्ग गज के भू-खण्ड और व्यवसाय करने हेतु दुकान दी गई है अतः प्रार्थी को निवास हेतु उक्त योजना में 1500 वर्ग गज का भू-खण्ड व व्यवसाय करने हेतु एक दुकान रिर्जव प्राईज पर आंवटित की जावें ।

अभिभाषक श्री मनदीप सिंह ने दिनांक 29.6.91 को प्रमाणित जमाबंदी, खसरा गिरदावरी की फोटो प्रति, भूमि का नक्शा तथा विक्रय पत्रों की फोटो प्रमाणित प्रतियाँ पेश की गई। क्लेम प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस की एक-एक प्रति जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को दिलाई गई। खातेदार द्वारा दिनांक 29.9.88 की रजिस्ट्री की फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की, यह रजिस्ट्री 3हैक्टयर भूमि है। जिसका बेचान 33,000/-रु० बताया गया है तथा दि.7.9.89 के विक्रय पत्र श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मणसिंह की भूमि ग्राम टिकरिया तहसील सांगानेर जयपुर शहर क्षेत्र में स्थित है। भूमि खसरा नं.206 रकबा 4बीघा का हिस्सा 1/4 का बेचान 11,405/-रु. बताया गया है। श्रीमति ललिता पत्नी मोहन लाल ने अपनी भूमि ग्राम महापुरा के ख.नं.27/1 रकबा 7बीघा तहसील सांगानेर में अपना हिस्सा 1/4 की खातेदारी का बेचान 1,39,999/-रु. दिनांक 23.9.89 को बताया गया है जिसकी फोटो प्रति प्रमाणित कराकर पेश की है। श्री रामनारायण पुत्र भौरीलाल की भूमि ख.नं.924 रकबा 1बीघा 15बिस्वा बारानी दोयम व 924/1510 रकबा 19बीघा बाग बारानी को बेचान दिनांक 1.2.91 बताया गया है। तथा एक और विक्रय पत्र श्री प्रेम चंद गोलछा की भूमि ख.नं. 1122/2841 रकबा 0.24हैक्टयर भूमि को मुबलिक रूपया 1,44,000/-रूपये दिनांक 21.6.90 को बेचान बताया गया है तथा श्रीमती संगीता पत्नी विजय कुमार के विक्रय पत्र दिनांक 22.12.90 में भूमि ख.नं.523 रकबा 0.92हैक्टयर ग्राम नरसिंहपुरा तहसील सांगानेर में अपना हि.1/4 का बेचान 16,655/-रूपये अंकित किया गया है।

जविप्रा के अभिभाषक श्री के.पी.मिश्रा ने हितदार ने जो मुआवजा राशि की मांग की है के संबंध में कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है लेकिन मौखिक रूप से कहा कि दावेदारा द्वारा जो क्लेम पेश किया गया है और उसमें जो आपत्ति उठाई गई है वह आपत्तियां नियमानुसार धारा 4 के नोटिफिकेशन के बाद एवं धारा 5 ए की आपत्तियों की सुनवाई की निश्चित अवधि में प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा जो मुआवजे की मांग की गई है वह बहु अधिक है तथा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर आदि की जो मुआवजे की मांग की है वह अधिक है क्योंकि किसी भी रजिस्टर्ड वेल्यूवर से प्रमाणित कराकर तखमीना प्रस्तुत नहीं किया है। मनमाने तौर पर क्लेम पेश किया गया है। हितदार द्वारा जो मौखिक है विक्रय पत्र बाजार दर की लिस्ट में पेश किए हैं वे किसी भी तरह से हितदार के हक में नहीं है क्योंकि दिनांक 29.9.88 को विक्रय पत्र में भूमि का बेचान 33,000/-रु. बताया गया है। ये बेचान उक्त भूमि के एक छोटे से भूखंड का है और कृषि प्रयोजन के क्रय किया जाना प्रतीत नहीं होता है तथा अन्य रजिस्ट्रीयां वर्ष 88 के बाद की है जो मान्य नहीं है इस भूमि का मुआवजे की राशि 24,000/-रु. प्रति बीघा की दर से अधिक नहीं है। हितदार ने इस ख.नं. की भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी सम्वत 2023 से 2026 तक की नकल जमाबन्दी खतौनी व नकल खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त और कोई राजस्व सम्बन्धी दस्तावेजात व भूमि क्रय सम्बन्धी रजिस्ट्री आदि कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया। केवल जमाबंदी व खसरा गिरदावरी के आधार पर क्लेमेन्ट को अवार्ड में से मुआवजे की राशि दिया जाना उचित नहीं होगा। क्लेम कर्ता को हितधारी व्यक्ति माना जा सकता है।

हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी.मिश्रा के अभिकथन से सहमत है अतः हम श्रीमती [illegible] पुत्र तिलक राज मगन को हितधारी व्यक्ति तो मानते है किन्तु इन्हें अवार्ड में से मुआवजे की राशि राजस्व सम्बन्धी विधिक दस्तावेजात प्रस्तुत करने पर ही देय होगी। खातेदार के वकील ने दिनांक 29-6-91 को

क्रमशः------6

(एकल) लिखित बहस जो पेश की गई है उसके क्रम में लेख है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार की गई है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम में यह स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अनिवार्य अवाप्ति में माना गया है । तथा अन्य बिन्दु कानूनी है । दावेदार द्वारा जो अवार्ड हेतु चाही गई है वह दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । हम जविप्रा के अभिभाषक श्री के०पी० मिश्रा के इस कथन से सहमत है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में सार्वजनिक नोटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये गये व चस्पा कराये गये जो दिनांक 29-4-91 को जारी किये गये ।

मुआवजा निर्धारण :-
==============

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15)नविआ/87 दिनांक 1-1-89 द्वारा मुआवजा की राशि निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11-2-91 के द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग जयपुर तथा आयुक्त जविप्रा एवं सचिव जविप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जावें । इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया ग है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो नि कृषि भूमि का मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किया है उनमें कृषि भू के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन वर्ष 7-7-88 हुआ था इसलिए विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष में 7 । 1988 को विभिन्न उपपंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई वि नहीं रहता है ।

......

268

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदार को मुआवजे निर्धारण का प्रश्न है खातेदार के इस न्यायालय में उपस्थित न होने व क्लेम प्रस्तुत न करने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा हितदार द्वारा भूमि के क्रय करने के राजस्व सम्बन्धी विधिक दस्तावेजात प्रस्तुत न करने के कारण क्लेम में अंकित राशि अस्वीकार की जाती है ।

लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार इस सम्बन्ध में जविप्रा जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जविप्रा के सचिव ने पत्र क्रमांक:टी•डी•आर•/91/336 दिनांक 5•6•91 द्वारा इस संबंध में सूचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम गोकुलपुरा में 20,000/-रू• प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था इसलिए जहाँ तक इनके पक्ष का सम्बन्ध है वह दर उचित है ।

हमने इस संबंध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार,जविप्रा (प्रथम) ने अपने यू•ओ•नोट दिनांक 8•5•91 द्वारा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास का मुआवजा राशि 24,000/-रूपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये थे जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जविप्रा के अभिभाषक ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/-रू•प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/-रू•प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं ।

अत: इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/-रू• प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयावधि नियत है ।

जहाँ तक पेड़-पौधे,कुए,सड़के एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रेक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया गया और ना ही जयपुर विकास

भूमि अवाप्ति अधिकारी
... योजनाएं
...पुर

क्रमशः----8

प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश किये गये है ऐसी स्थिति में स्ट्रेक्चर यदि कोई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण। नहीं किया जा रहा है जिसका निर्धारण। बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण। से तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीने प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार निर्धारण किया जायेगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण। तो 24,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23§1-ए§ एवं 23§2§ के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलिशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक §प्रथम§ एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अरबन अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन इन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन अधिनियम की धारा 10§3§ की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है।

अतः यह अवार्ड दिनांक 29/6/91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनायें, जयपुर

संलग्न - परिशिष्ट "ए" गणना तालिका।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनायें
जयपुर

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प-6(15)नविआ/89 पार्ट दिनांक 31-7-91 के द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आज दिनांक 31-7-91 को अवार्ड सर इजलास घोषित कर शामिल मिसल किया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनायें
जयपुर

परिशिष्ट " द " ग्राम :- गोकुल पुरा तहसील जयपुर

क्र. सं.	मु0. नं0.	खातेदार का नाम/हितदार	ख. नं0.	रकबा	भूमि की कीमत बी. बि. 24000/-प्र.बी.	अतिरिक्त 12%	सोलिशियम राशि 30%	कुल राशि	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	78/88	तनेसिहं पुत्र बालकिशन जाति जाट सा. बीड तकिया गैर खातेदार	78	11-00	2,64,000/-	94,433/-	79,200/-	4,37,633/-	

नोट :- 1. सोलिशियम 30% कालम संख्या :6 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है।

2. अतिरिक्त राशि 12% की गणना धारा 4¦1¦ के गजट दिनांक 7-7-1988 से 29-6-91 तक पर की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर।